स्मृति-पत्र / Memorandum Of Association

संस्था का नाम / Society's Name :	**जीवन पथ के साथी टीम**
संस्था का पता / Society's Address :	ग्राम ददरी तालुका नौगवा, पोस्ट डांडी, तहसील करछना,Prayagraj,211008
संस्था का कार्य क्षेत्र / Society's Work Area :	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
संपर्क संख्या / Contact Number :	9455768853

संस्था के उद्देश्य / Objectives of Society :

(यें उद्देश्य
बहुउदेशीय ,
से सम्बंधित है)

उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवास से सम्बन्ध रखने वाले सभी सरकारी/अर्द्ध सरकारी एवं राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा पोषित/अधिकृत/पंजीकृत निजी/मान्यता प्राप्त संस्थानों/उपक्रमों/ विभागों के कार्य स्थलो एवं कार्यालयों में स्थायी/संविदा के रूप में सेवारत/कार्यरत सदस्यों के परस्पर सहयोग हेतु गठित कल्याणार्थ टीम

1. जीवन पथ के साथी टीम के समस्त सदस्यों एवं सदस्यों के निज माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री के अति गंभीर बीमारी में इलाज हेतु परस्पर आर्थिक सहयोग करना ।
2. जीवन पथ के साथी टीम के समस्त सदस्यों एवं सदस्यों के निज माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री के अति गंभीर एक्सीडेंटल केस में इलाज हेतु परस्पर आर्थिक सहयोग करना।
3. जीवन पथ के साथी टीम के किसी भी सदस्य के असामयिक मृत्योपरांत सदस्य के परिवार को परस्पर आर्थिक सहयोग करना।
4. जीवन पथ के साथी टीम के किसी भी सदस्य के अति गंभीर बीमारी तथा अति एक्सीडेंटल केस के इलाज हेतु परस्पर आर्थिक सहयोग के साथ ही साथ यदि उक्त दोनों स्थिति में से किसी भी एक स्थिति या दोनों स्थिति के दौरान सदस्य की मृत्यु की दशा में सदस्य के परिवार को परस्पर आर्थिक सहयोग अर्थात सदस्य/परिवार को द्वैत दोहरे परस्पर आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया का अनुपालन करना।
5. जीवन पथ के साथी टीम के समस्त सदस्यों की निज पुत्री के कन्या विवाह दान में परस्पर आर्थिक सहयोग करना।
6. जीवन पथ के साथी टीम से जुड़े समस्त सदस्यों के स्वयं की नौकरी से सेवामुक्ति रिटायरमेंट के बाद भी जीवन पथ के साथी टीम, उत्तर प्रदेश में आजीवन सदस्यता का सुरक्षित अधिकार टीम/समिति के नियम एवं शर्तों के अनुरूप

नियम एवं शर्तें
समस्त सदस्यों, प्रभारियों एवं पदाधिकारियों हेतु

1. जीवन पथ के साथी टीम JPST में सिर्फ उत्तर प्रदेश का वह मूलनिवासी सदस्य जो कि उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश से मूल निवास सम्बन्ध रखने वाले है जो कि सभी सरकारी/ अर्द्ध सरकारी एवं राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा पोषित/अधिकृत/पंजीकृत निजी/मान्यता प्राप्त संस्थानों/उपक्रमों/विभागों के कार्य स्थलो एवं कार्यालयों में स्थायी/संविदा के रूप में सेवारत/कार्यरत है, JPST से जुड़ सकते हैं, बस अंतिम रूप से अनिवार्य शर्त यह है कि टीम से जुड़ने वाला सदस्य केवल उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. JPST में रजिस्ट्रेशन, सोशल मीडिया तथा मानव संपदा कोड/सर्विस एम्प्लॉय कोड एवं नौकरी में स्थानांतरण संबंधी अनिवार्य नियम एवं शर्ते इस प्रकार हैं

2A. JPST से जुड़ने के लिए इसकी वेबसाइट एवं गूगल फॉर्म में दिए गए निर्दिष्ट विशेष सूचना कालम के समस्त क्रमिक वैध विवरण को भरकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के उपरांत JPST के प्रदेश स्तर एवं मंडल, जनपद, प्रखंड स्तर के आधिकारिक सोशल मीडिया जैसे आधिकारिक टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप आदि से जुड़ना भी अनिवार्य है क्योंकि यहीं पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण होता है। सभी सदस्यों को सदैव सोशल मीडिया से अपडेट रहना भी अनिवार्य है। यदि कोई भी सदस्य प्रखण्ड/जनपद/प्रदेश के टीम/समिति की आधिकारिक सोशल मीडिया से अपडेट नहीं होता है तो विविध सूचना से आच्छादित असंप्रेषणीयता की स्थिति के लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा, इसलिए सभी सदस्यों को सदैव अपडेट रहना अनिवार्य है क्योंकि इसकी वजह से सदस्यों के सहयोग की प्रक्रिया एवं वैधानिक सदस्यता दोनों ही प्रभावित होगी जिस हेतु सदस्य स्वयं उत्तरदाई होगा।

2B. JPST में रजिस्ट्रेशन के समय ही प्रोफाइल भरते समय निर्दिष्ट सभी कालम को वैध दस्तावेजी विवरण के साथ भरना अनिवार्य होगा। कोई भी तथ्य या विवरण गलत भरना या छुपाना तथ्यगोपन वास्तव में गलत आचरण की श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा, प्रस्तुत साक्ष्य के जांच पड़ताल के दौरान यदि दिए गए विवरण या तथ्य गलत पाया जाएगा तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता निरस्त मानी जाएगी और किसी भी प्रकार का परस्पर सहयोग नहीं किया जाएगा, साथ ही ऐसे गलत आचरण करने वाले सदस्यों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करने का सम्पूर्ण सर्वाधिकार टीम मुख्य कोर कमेटी के पास पूर्णतः सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा।

2C. उपरोक्त में उल्लेखित सभी विभाग में कार्यरत सदस्यों के मानव संपदा कोड/सर्विस एम्प्लॉय आई0डी0 कोड/विशेष पहचान कोड तथा नौकरी में स्थांतरण उपरांत अपडेट संबंधी कुछ नियम एवं शर्तें इस प्रकार लागू हैं.

2.C.I. JPST में रजिस्ट्रेशन के समय अर्द्ध सरकारी एवं राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा पोषित/अधिकृत/ पंजीकृत/निजी/मान्यता प्राप्त संस्थानों/उपक्रमों/ विभागों के कार्य स्थलो एवं कार्यालयों में स्थायी/संविदा के रूप में सेवारत/कार्यरत सदस्य अपना सर्विस एम्पलाई,आई0डी0 कोड या विशेष पहचान कोड नं0 भरेंगे, ऐसे सदस्य अपने विभागीय कार्यालय या मुख्यालय का पता पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी तथा स्वयं के वैध पते के संदर्भ में व्यक्तिगत संपूर्ण वैध दस्तावेजी विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य है। जिससे आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्यों की जांच पड़ताल में सरलता हो सकेगी

2.C.II. JPST से जुड़ने वाले सभी कार्यरत/सेवारत सदस्य यदि अपने नौकरी में स्थानांतरित होते हैं तो ऐसी स्थिति में नवीन कार्यालय के उपरोक्त 2.C.I के अनुसार ही सभी विवरण को अपडेट करना अनिवार्य है।

2.D. JPST से जोड़ने के अभियान के तहत कोई भी सदस्य या पदाधिकारी किसी वैध व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन करने या करवाने में पूर्ण आत्मीय सहयोग प्रदान करेगा।

3. JPST द्वारा अधिकृत हेल्पलाइन नंबर/वेबसाईट सदस्यों को उनकी सुविधा हेतु जारी किया गया है जिसके माध्यम से समस्त सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण किया जाता हैं

4. JPST भारत सरकार या राज्य सरकार की सूचना एवं प्रसारण संबंधी नियम एवं शर्तों का सदैव पालन करेगी। यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए समय समय पर यथोचित संप्रेषण एवं सुझाव की स्थिति कायम रखेगी ।

5. JPST किसी भी सेवारत सदस्य को जबरदस्ती या दबाव डालकर टीम का सदस्य नहीं बनाती है और न ही किसी प्रकार की व्यवस्था शुल्क या सदस्यता शुल्क लेती है। हां यदि कोई भी सदस्य अपनी मर्जी, खुशी, स्वेच्छा से टीम/समिति के संचालन, क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था शूल्क देना चाहे तो देय सकता है, इसके लिये सदस्य पर किसी भी प्रकार की बाध्यता नही होगी, जो JPST के नियम एवं शर्तों को मानते हुए रजिस्ट्रेशन करेगा और सदैव सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करता रहेगा तो नियमानुसार उसकी दावेदारी सुनिश्चित रहेगी। JPST के सदस्यों को नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही सदस्यता ग्रहण करने का विकल्प दिया जाता है।

6. JPST पूर्णरूपेण स्वैच्छिक एवं पारदर्शी तथा विश्वसनीय पटल या मंच हैं जिसके तहत कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं

6.A. JPST पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक पटल है, स्वेच्छा से कोई भी सदस्य टीम का सदस्य बन सकता है और स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का परित्याग कर सकता है। इसके लिए टीम की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि सब कुछ JPST के नियम एवं शर्तों पर आधृत है।

6.B. JPST के द्वारा सहयोग के आह्वान या आग्रह के बाद परस्पर सहयोग अभियान के दौरान ही सहयोगकर्ता अपने सहयोग धनराशि का उल्लेख करते हुए बिल्कुल सत्य/वास्तविक ट्रांजैक्शन सहयोग रसीद इमेज को टीम की वेबसाइट/गूगल फॉर्म पर अपलोड करेंगे जो कि पूर्णतः अनिवार्य है। साथ ही सभी आत्मीय सहयोगकर्ता सदस्यों से भी यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने अंतिम 3 ट्रांजैक्शन सहयोग रसीद इमेज रिसीविंग को अपने ईमेल आईडी या मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी या बाह्य रूप से हार्ड कॉपी के रूप में सुरक्षित रखेंगे जिससे साक्ष्य प्रमाणन में सुविधा एवं सरलता रहेगी।

6.C. जो भी सदस्य JPST से जुड़ा है वह अन्य किसी भी सम विषयक टीम से जुड़ने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, ऐसे सदस्यों की सदस्यता JPST में यथावत कायम रहेगी बस शर्त यही है कि वह सदस्य JPST के नियम / शर्तों को मानते हुए अनवरत रूप से सहयोग अभियान के समय सहयोग अनिवार्य रूप से करता रहे।

7. JPST परस्पर सहयोग, सेवा, समर्पण की मूल नैतिक सदभावना पर आधारित है और इसमें स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य है कि "जो सदस्य अनवरत सहयोग करेगा वही सहयोग पाने का हकदार होगा"

JPST के जिन प्रमुख उद्देश्यों हेतु सहयोग की प्रक्रिया का नियमन किया गया है वह प्रमुख उद्देश्यनिष्ठ नियम एवं शर्तें इस प्रकार है।

7.A अति गंभीर बीमारी में इलाज हेतु आर्थिक सहयोग

अति गंभीर बीमारी में ईलाज हेतु आर्थिक सहयोग के नियम एवं शर्तें इस प्रकार है

7.A.I. जो भी सदस्य JPST से जुड़ेगा वह रजिस्ट्रेशन के समय ही यदि कोई पूर्व की बीमारी सामान्य, गंभीर, अति गंभीर आदि का उल्लेख अनिवार्य रूप से करेगा क्योंकि किसी भी तथ्यगोपन की स्थिति में ऐसे सदस्यों को भविष्य में कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा।

7.A.II. अति गंभीर बीमारी वही मान्य होगी जो की "इंडियन मेडिकल एसोसिएशन" द्वारा सूचीबद्ध की गई है।

7.A.III. अति गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सहयोग प्राप्त करने वाले सदस्य को अति गंभीर बीमारी की स्थिति एवं इलाज के संपूर्ण विवरण का पुख्ता प्रमाण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा यदि कोई सदस्य या सदस्य के माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी तात्कालिक रूप से इलाज हेतु हॉस्पिटलाइज होते है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में सत्यश एडमिट होने, उस दौरान इलाज की वर्तमान प्रक्रिया, इलाज संबंधी जांच रिपोर्ट, दवा खर्च बिल आदि के वास्तविक साक्ष्य प्रमाण को प्रस्तुत करने के साथ ही ईलाज के समय का अद्यतन बिल्कुल वास्तविक वीडियो, इमेज आदि का भी पुख्ता साक्ष्य प्रमाण वास्विक तिथि एवं समय के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है और टीम का सदस्य अपने निज माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी के इलाज के समय स्वयं के अपने व्यक्तिगत निजी संबंध का पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा। बाकायदा जांच पड़ताल, स्थलीय निरीक्षण के बाद JPST के मुख्य कोर कमेटी के पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही परस्पर आर्थिक सहयोग अभियान के आग्रह/आह्वान के बाद की सहयोग प्रक्रिया की शुरुआत टीम के समस्त सदस्यों द्वारा की जाएगी।

7.A.IV. कैशलेस या हॉस्पिटैलिटी के तत्काल समय ही तात्कालिक इलाज खर्च JPST के टीम समिति एवं सदस्यों द्वारा सहयोग के रूप में तुरंत दिया जाए इसकी बाध्यता बिल्कुल भी नहीं होगी किंतु JPST टीम के मुख्य कोर कमेटी पदाधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि/सहमति स्थलीय निरीक्षण एवं प्रस्तुतध्उपलब्ध समस्त वैध साक्ष्य प्रमाणन उपरांत के बाद ही त्वरित रूप में ससमय सहयोग प्रदान करने का अवश्य ही पूर्ण प्रयत्न/प्रयास रहेगा। यह सर्वाधिकार टीम को निश्चित रूप से प्राप्त है जो की टीम के नियम एवं शर्तों तथा प्रावधानों के अंतर्गत है।

7.B. अति गंभीर एक्सीडेंटल केस में इलाज हेतु आर्थिक सहयोग .

7.B.I. JPST से जुड़े सदस्य एवं सदस्य के परिवार में सदस्य के निज माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी में से किसी का यदि अति गंभीर एक्सीडेंट होता है तो ऐसी स्थिति में इलाज हेतु टीम के सभी सदस्य मिलकर परस्पर आर्थिक सहयोग करेंगे

7.B.II. अति गंभीर एक्सीडेंटल केस में इलाज हेतु आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया के लिए भी बिंदु 7.A की तरह ही संपूर्ण पुख्ता तथ्य सत्य परक प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसमें भी विशेषरूप से बिंदु 7.A III, IV के उपरोक्त नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।

7.C. JPST के किसी भी सदस्य के असामयिक मृत्योपरांत सदस्य के परिवार को आर्थिक सहयोग|

7.C.I. JPST का आजीवन सदस्य होने के कारण यदि किसी भी सदस्य की मृत्यु किसी भी कारण से होती है तो उस सदस्य के परिवार को पूर्ण परस्पर आर्थिक सहयोग JPST के सभी सदस्य मिलकर करेंगे। इसमें भी सदस्य के परिवार द्वारा सदस्य के सत्यपरक मृत्यु का पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रभावित पक्ष परिवार/परिवार को पर्याप्त समय अनुमन्य होगा। प्रस्तुत उपलब्ध साक्ष्य की जांच पड़ताल, स्थलीय भ्रमण, निरीक्षण/परीक्षण तथा प्रखण्ड, जिला, मंडल प्रभारी एवम टीम के मुख्य कोर कमेटी की संतुष्टि के बाद ही परस्पर सहयोग अभियान की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी।

7.C.II. JPST के नियम एवं शर्तों के अनुसार प्रथमतः जो परिवार नियमानुसार वैध होगा उसे ही सर्व प्रथम मदद की जाएगी किंतु विवाद की स्थिति में सदस्य के परिवार द्वारा दूसरे परिवार से संबंधित पुख्ता दस्तावेजी अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिवार विवाद की ऐसी दशा में पुख्ता वैध प्रमाण के प्रमाणित होने के उपरांत प्रथम परिवार के न होने पर द्वितीय परिवार की वैधानिक दावेदारी को सत्य मानते हुए टीम के सभी सदस्यों द्वारा मिलकर सहयोग किया जाएगा जिसका अंतिम सर्वमान्य निर्णयात्मक सर्वाधिकार टीम समिति के मुख्य कोर कमेटी के पास सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा।

7.C.III. यदि किसी कारणवश प्रथम परिवार की मृत्यु हो जाती है तो दूसरे परिवार को सहयोग प्राप्त करने का अधिकार होगा। और यदि दूसरे परिवार की भी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में सदस्य परिवार की सहमति के बाद परिवार को सहयोग पाने का अधिकार होगा।

7.C.IV. JPST टीम/समिति किसी भी प्रभावित सदस्य या उनके परिवार को आर्थिक सहयोग सीधे डायरेक्ट उनके बैंक खाते में सिर्फ सहयोग अभियान के अंतर्गत नैतिक, मानवीय दृष्टिकोण के तहत आह्वान/आग्रह/निवेदन के रूप में अपने टीम सदस्यों द्वारा करवाती हैं JPST अपने स्वयं के वित्त कोष से किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल भी नहीं करती हैं। अतः किसी भी तरह की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी भी प्रभावित सदस्य के पास बिल्कुल भी नहीं होगा।

7.D. JPST के किसी भी सदस्य का यदि अति गंभीर बीमारी या अति गंभीर एक्सीडेंटल केस में इलाज चल रहा है तो उक्त इलाज में JPST टीम सदस्यों द्वारा सहयोग अभियान के दौरान प्रथमतः आर्थिक सहयोग किया जाएगा और यदि इन दोनों या इनमे से किसी एक के इलाज की स्थिति के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो नियम एवं शर्तों को ध्यान

में रखते हुए परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाएगा |

7.E. JPST के सदस्यों की स्वयं की निज पुत्री के कन्या विवाह दान में आर्थिक सहयोग JPST के किसी भी सदस्य के निज पुत्री के कन्या विवाह में टीम के सभी सदस्य मिलकर आत्मीय रूप से कन्या विवाह दान में परस्पर सहयोग करेंगे। विवाह संबंधी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यथा सदस्य से पुत्री के संबंध को प्रमाणित करने वाला पूर्ण वास्तविक/सत्यशः प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर में दर्ज अभिलेख प्रति, पुत्री का आई0 कार्ड, शादी कार्ड आदि आदि पुख्ता प्रमाण साक्ष्य के प्रमाण के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विवाह के 30 दिन पहले ही कोर कमेटी को अवगत कराना अनिवार्य होगा। JPST की कोर कमेटी द्वारा जांच पड़ताल, मौके पर स्थलीय भ्रमण, निरीक्षण में संतुष्टि के उपरांत ही सहयोग की प्रक्रिया की शुरुआत सभी JPST टीम सदस्यों द्वारा की जाएगी।

7.F. JPST से जुड़े समस्त सदस्यों के अपने विभागों में नौकरी से सेवामुक्ति रिटायरमेंट के बाद भी टीम में आजीवन सदस्यता का सुरक्षित अधिकार आजीवन बना रहेगा। शर्त यही है कि जिस तरह नौकरी के दौरान ऐसे सदस्य नियम एवं शर्तों के तहत परस्पर सहयोग करते आए हैं ठीक उसी तरह से सेवा मुक्ति रिटायरमेंट के बाद भी नियम एवं शर्तों को मानते हुए अपना परस्पर सहयोग या योगदान करते रहेंगे साथ ही साथ उक्त के लिए पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. JPST के लगभग सभी समविषयक उद्देश्यों के लिए टीम सदस्यों द्वारा सहयोग तभी किया जाएगा जब सहयोग प्राप्त करने वाला प्रभावित सदस्य या उनके परिवार यथोचित तथ्य सत्यपरक दस्तावेजी प्रमाण JPST मुख्य कोर कमेटी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे जिससे JPST की प्रदेश, मंडल, जिला, प्रखंड टीम प्रभारी/अधिकारी पूर्णतः संतुष्ट हो। साथ ही साथ यदि उक्त समस्त उद्देश्यों से प्रभावित सदस्य या परिवार पुख्ता साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुतीकरण या पुख्ता दस्तावेजी वैध विवरण के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कूटरचित, तथ्यगोपन, छल कपट, असत्य साक्ष्य, फर्जी रसीद या गलत प्रमाण प्रस्तुत करने जैसा JPST के नियम/शर्तों/प्रावधानों के विरुद्ध कार्य एवं व्यवहार करता है तो ऐसे सदस्यों के विरुद्ध JPST मुख्य कोर कमेटी नियम सम्मत विधिक/कानूनी कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी और सदस्य की वैधानिक सदस्यता निरस्त करने का सर्वाधिकार JPST टीम मुखी कोर कमेटी के पास सुरक्षित/संरक्षित रहेगा । स्पष्टतः असत्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से सभी टीम सदस्यों को सदैव ही बचना होगा क्योंकि JPST के साथ उत्तर प्रदेश एवं केंद्र सरकार के शासन प्रशासन से जुड़े अधिकारी/कर्मचारी भी टीम सदस्य है जिनकी नजर इन सभी गतिविधियों पर सदैव बनी रहेगी ।

9. JPST अपने सदस्यों के जिस विशेष गतिविधियों का निषेध करती है या जिस विशेष गतिविधियों को स्वीकृति प्रदान करती है उसका नियमबद्ध स्वरूप इस प्रकार है.

9.A. JPST पूर्णतः गैर राजनीतिक टीम/समिति है। इस टीम में कोई भी सदस्य या पदाधिकारी यदि किसी राजनीतिक दल से जुड़ा भी है तो वह उस राजनीतिक दल की विचारधारा, उद्देश्य, योजना के सदस्यता अभियान के वित्त कोष में आर्थिक सहयोग की मांग आदि विविध विषयों का JPST के अंदर प्रचार.प्रसार बिल्कुल भी नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी JPST सदस्यता स्वयं ही समाप्त मानी जाएगी तथा ऐसे सदस्यों के ऊपर टीम के नियम एवं शर्तों के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही करने के लिए टीम/समिति पूर्ण स्वतंत्र होगी।

9.B. JPST स्वयं के वित्तकोष के मामले में गैर लाभकारी टीम/समिति है। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है .

9.B.I. JPST परस्पर सहयोग भावना की टीम है और यह समिति स्वयं के वित्त कोष के मामले में गैर लाभकारी है यह टीम उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सदस्यों के कल्याण हेतु गठित परस्पर सहयोग के लिए बनाई गई है जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से JPST के स्वयं के वित्त.कोष में कोई भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यह टीम परस्पर सहयोग अभियान के अंतर्गत अपने सदस्यों द्वारा सदस्यों के लिए आर्थिक सहयोग का सिर्फ आह्वान, आग्रह या निवेदन के माध्यम से सीधे प्रभावित सदस्य या उसके परिवार के बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट सहयोग करती हैं।

9.B.II. यदि कोई भी टीम सदस्य JPST मुख्य कोर कमेटी से इतर परस्पर सहयोग अभियान के आह्वान आग्रह से भिन्न अन्य किसी भी सदस्य से किसी भी प्रकार का जबरन या प्रेम पूर्वक सहयोग मांगता है तो यह अनैतिक अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर विधिक/कानूनी कार्यवाही करने और ऐसे में उस सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार JPST कोर कमेटी के पास सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व सदस्य का ही होगा, इस मामले में टीम समिति के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं होगी।

9.B.III. JPST के वेबसाइट निर्माण, संचालन, क्रियान्वयन, ऐप निर्माण, टीम आईटी सेल गठन, एसएमएस सुविधा आदि के लिए तकनीकी व्यवस्थापन हेतु ऑफिस/टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ रखने, समसामयिक अद्यतन नवीन टेक्नोलॉजी के बेहतर प्रयोग हेतु तथा नवीन प्रदेश, मंडल, जिला, प्रखंड, प्रभारी प्रकोष्ठों के गठन एवं नियुक्तियों हेतु, वास्तविक साक्ष्य प्रमाणन के लिए मुख्य कोर कमेटी या प्रभारी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण हेतु और अन्य सामान्य व्यावहारिक स्थितियों को देखते हुए JPST सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश, मंडल, जिला, प्रखण्ड प्रभारियों या अधिकारियों से ही परस्पर सामान्य व्यावहारिक नैतिक मानवीय मदद राशि का आग्रह या निवेदन व्यस्था शुल्क के रूप में कर सकती है। इसके लिये किसी भी प्रभारी/पदाधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नही डाला जायेगा। यह प्रभारी एवं पदाधिकारी के स्वयं की मर्जी पर आधारित होगा कि वह मदद करें या ना करें और व्यवस्था शुल्क के लिये टीम के सामान्य सदस्यों से बिल्कुल भी नही कहा जायेगा, यह उनकी मर्जी खुशी पर है की वह मदद करना चाहे तो कर सकतें है या यदि नही करना चाहे तो बिल्कुल भी ना करें।

ध्यातव्य रहे कि

उपरोक्त व्यावहारिक नैतिक सहयोग व्यवस्था राशि के लिये जो भी निवेदन/आग्रह की स्थिति बनेगी वह टीम/समिति की मुख्य कोर कमेटी और प्रभारी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की विशेष व्यापक बैठक में परस्पर सहमति से लिए गए अंतिम निर्णय के उपरांत ही होगी जिसके लिए टीम की मुख्य कोर कमेटी ही आह्वान या आग्रह करने के लिए अधिकृत होगी अन्य कोई भी पदाधिकारी बिल्कुल भी अधिकृत नहीं होगा साथ ही साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भी सामान्य व्यावहारिक, नैतिक, मानवीय, सहयोग व्यवस्था राशि सिर्फ टीम पदाधिकारियों एवं प्रभारियों द्वारा किया जाएगा 9.B.प्प् के परिपेक्ष्य में वह JPST के स्वयं के वित्त कोष में गैर लाभकारी दृष्टिकोण के निमित्त होगा और उपरोक्त से इतर अन्य किसी भी प्रकार के लेन.देने से बिल्कुल भी मुक्त होगा, उक्त सहयोग व्यवस्था राशि की प्रक्रिया सिर्फ टीम/समिति के नियम में 9.ठ.प्प् के परिपेक्ष्य में दर्ज विषय वस्तु के सन्दर्भ विशेष में ही रहेगा।

स्पष्ट है कि JPST टीम/समिति का वित्त कोष उपरोक्त नियम एवं शर्तो से इतर बिल्कुल भी किसी भी अन्य प्रकार के लेनदेन से पूर्णतः मुक्त रहेगा यह सिर्फ परस्पर सहयोग का मंच है ना कि किसी लाभ का मंच या पटल इसीलिए JPST पूर्णतः गैर लाभकारी टीम है।

उक्त के संदर्भ में मुख्य कोर कमेटी के साथ ही साथ यदि कोई भी टीम पदाधिकारी या सदस्य नियम एवं शर्तों का उल्लंघन अवहेलना करेगा तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता स्वयंमेव समाप्त मानी जाएगी और भविष्य में कोई भी सहयोग नहीं किया जाएगा ।

9.C. JPST परस्पर सहयोग भावना की टीम होने के कारण निम्न बिंदुओं का भी निषेध करती है यथा.JPST का कोई भी सदस्य यदि किसी भी मजहब/धर्म के विचारों, सिद्धांतों, उद्देश्यों, धार्मिक दान की मांग या सांप्रदायिक उन्मादी/नफरती मुद्दों का JPST के प्लेटफार्म मंच पर प्रचार.प्रसार, विस्तार करता है तो यह कृत्य टीम के नियम एवं शर्तों तथा प्रावधानों के विरुद्ध माना जाएगा जिसके लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा और उस पर विधिक/कानूनी कार्यवाही करने के लिए JPST पूर्णतः स्वतंत्र होगी। ऐसी किसी भी अवैधानिक स्थिति के लिए JPST की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और ऐसे में इस तरह के सदस्यों की सदस्यता स्वयं ही निरस्त मानी जाएगी तथा भविष्य में ऐसे सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया जाएगा।

9.D. JPST सामाजिक कल्याणार्थ टीम/समिति है जो की उत्तर प्रदेश के मूल निवासी समस्त विभागों के सदस्यों के परस्पर आर्थिक सहयोग/कल्याण का एक पुनीत मंच है जिसमें उपरोक्त सभी पात्र सदस्य अपने नैतिक, मानवीय, सामाजिक, आर्थिक मदद की परस्पर सहयोगात्मक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं ऐसे में JPST के साथ समाज का

कोई भी असामाजिक, अवांछित, आपराधिक व्यक्ति या तत्व नहीं जुड़ेगा। ऐसे सदस्य टीम समिति में बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन करके नहीं जुड़ सकते हैं। यदि कोई भी सदस्य/व्यक्ति/तत्व तथ्यगोपन करते हुए टीम के साथ जुड़ता भी है तो उसके विरुद्ध विधिक/कानूनी कार्यवाही का संपूर्ण अधिकार JPST मुख्य कोर कमेटी के पास पूर्णतः सुरक्षित संरक्षित रहेगा, साथ ही साथ यदि कोई सदस्य JPST का सदस्य रहते हुए भी किसी भी प्रकार के असामाजिक/अवांछित/अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है या संलिप्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति के लिए वह सदस्य स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए JPST की कोई भी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। यदि न्यायिक रूप से ऐसे सदस्यों का कोई भी अपराध कानून/विधि सम्मत न्यायालय में सिद्ध होता है तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता JPST में स्वयं समाप्त मानी जाएगी तथा भविष्य में उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा।

JPST के सभी सदस्य अवगत हो कि JPST में परस्पर मानवीय, सामाजिक, आर्थिक सहयोग के पुण्य/पुनीत अभियान में उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के मूल निवास से सम्बन्ध केन्द्र और अन्य राज्यों में कार्यरत शासन.प्रशासन के जिम्मेदार कर्मचारी एवं अधिकारी सदस्य भी जुड़े हैं जो की परस्पर आत्मिक सहयोग करते हैं, साथ ही साथ उनकी नजर JPST की सभी गतिविधियों पर लगातार बनी रहती है, ऐसे में JPST के पदाधिकारियों, प्रभारियों एवं सदस्यों को सदैव सजग सावधान रहने की जरूरत होगी, जिससे JPST की सुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे।

9.E. JPST का कोई भी सदस्य और उसका परिवार या बाहरी व्यक्ति/तत्व यदि JPST टीम या समिति या टीम के सदस्यों/पदाधिकारियों के प्रति भ्रम, अफवाह फैलाता है, दुव्र्यवहार करता है, JPST विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल होता हैं या शामिल पाया जाता है, टीम के पदाधिकारियों, प्रभारियों या सदस्यों को डराता धमकाता है, बिना सबूत या बिना सत्य आंकड़ों के मिथ्यारोपण करता है तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने तथा उनके विरुद्ध विधिक/कानूनी कार्रवाही करने का संपूर्ण अधिकार JPST के कोर कमेटी के पास सदैव सुरक्षित रहेगा । JPST इस मामले में पूर्णतः प्रबंध्समिति के निर्णय पर रहेगी।

9.F. JPST सीधे डायरेक्ट आर्थिक सहयोग टीम के प्रभावित /संकटग्रस्त सदस्य या उनके परिवार के बैंक खाते में टीम सदस्यों के द्वारा सीधा करवाती है। टीम समिति स्वयं के वित्त कोष में कोई भी लेनदेन उपरोक्त नियम एवं शर्तों के इतर नहीं करती है इसलिए किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार किसी भी व्यक्ति या सदस्य के पास नहीं होगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर किसी भी महत्वपूर्ण विवादास्पद मुद्दे या विषय के मामले में निर्णय लेने संबंधी पोल या विचार या सुझाव आदि में भाग लेने का अवसर टीम सदस्यों को प्रदान किया जाएगा।

10. JPST टीम/समिति में सहयोग की प्रक्रिया एवं टीम के सदस्यों की सक्रियता के लिए तथा नियमों का दुरुपयोग नही हो, इसके लिए विशेष लॉकिंग पीरियड के प्रमुख नियम एवं शर्तों तथा प्रावधानों का बिंदुवार उल्लेख इस प्रकार हैं.

10.A. JPST उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या उतर प्रदेश के मूल निवास से सम्बंध रखने वाले नौकरी पेशा सदस्यों का, सदस्यों के लिए, सदस्यों द्वारा सहयोग हेतु गठित है अर्थात जो सहयोग करेगा उसे ही सहयोग मिलेगा। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है |

10.A.I. समसामयिक संकट की घड़ी में या प्रभावित सदस्य या उसके परिवार को आर्थिक सहयोग अभियान के आह्वान या आग्रह के अंर्तगत सभी टीम सदस्यों द्वारा सहयोग करना अनिवार्य है।

10.A.II. परस्पर सहयोग अभियान की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी सदस्य को वेबसाइट/गूगल फॉर्म भरने में मदद कर सकता है। सहयोगात्मक नैतिक आत्मिक भाव से सहयोग की अंतिम डिजिटल क्रिया/प्रक्रिया में साथ निभा सकता है।

10.A.III. JPST के सहयोग अभियान में सहयोग करने के बाद नियमतः जारी वेबसाइट गूगल फॉर्म भरते हुए वैध/सत्य रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिना सहयोग किए या फिर सहयोग के उपरांत गुगल फार्म न भर पाने की स्थिति में सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई भी टीम सदस्य वैधानिक रूप से पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि वह ऑनलाइन सहयोग राशि रसीद इमेज अपलोड नही करता हैं। अतः सहयोग फॉर्म को यथोचित रूप से भरना अनिवार्य है।

10.A.IV. यदि एक साथ एक से अधिक सदस्य उपरोक्त JPST के उद्देश्यों के तहत प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रभावित सदस्यों में जिस सदस्य की उम्र अधिक होगी या जो सदस्य सहयोग करने के प्रतिशत एवरेज में अधिक होगा उसे विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यह सर्वाधिकार JPST के मुख्य कोर कमेटी के पास सदैव सुरक्षित रहेगा।

10.A.V. JPST के सहयोग अभियान में विशेष परिस्थिति या स्थलीय भ्रमण या निरीक्षण ना हो पाने, समसामयिक अद्यतन तकनीकी कमी आदि के संदर्भ में JPST मुख्य कोर कमेटी यथोचित निर्णय लेने का विशेष विवेकाधिकार रखेगी और सहयोग जिस भी तरह से उपयुक्त उपायों से हो इसका पूर्ण प्रयास करेगी। यदि किसी भी तकनीकी या अन्य कारणो से सहयोग प्रभावित होता है या नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में टीम सहयोग के लिए बाध्यकारी नहीं होगी, क्योंकि JPST सिर्फ सहयोग का आह्वान या आग्रह या निवेदन करती है ना कि अपने स्वयं के वित्तकोष से किसी प्रकार की मदद करती है। ऐसे मामले में कोई भी सदस्य विधिक/कानूनी कार्यवाही JPST के ऊपर नहीं कर सकता है।

10.A.VI. सहयोग नियम एवं शर्तों पर आधारित है, इसके अतिरिक्त नियम शर्तों से हटकर ना तो किसी सदस्य को सहयोग किया जाएगा ना ही किसी का सहयोग रद्द ही किया जाएगा।

10.A.VII. सहयोग के लिए अपडेट रहने के लिए प्रखड, जिला, मंडल, प्रदेश, के आधिकारिक सोशल मीडिया से सदैव संपर्क में बने रहना अनिवार्य होगा यदि कोई सदस्य आधिकारिक सोशल मीडिया से सूचनाओं को नही प्राप्त करता है तो वह ऐसी किसी भी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।

10.A.VIII. कोई भी टीम सदस्य किसी भी सदस्य से जबरन सहयोग नहीं कराएगा वह सिर्फ सहयोग अभियान के समय सदस्यों से आधिकारिक रूप से सिर्फ अनुनय, विनय, आग्रह या निवेदन कर सकता है क्योंकि JPST टीम पूर्णतः स्वैच्छिक है।

10.A.IX. सदस्यों द्वारा सहयोग सिर्फ और सिर्फ प्रभावित सदस्य या उसके परिवार के बैंक खाते में सीधे डायरेक्ट किया जाएगा ना कि किसी अन्य तरीके से अन्य जगह कोई भी सहयोग किया जायेगा।

10.A.X. JPST का कोई भी सदस्य स्वयं के किसी भी प्रकार के वैध विवरण का तथ्यगोपन या कूट रचना करते हुए सहयोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा क्योंकि उसका या उसके परिवार का स्वयं का दावा ऐसी स्थिति में उसके या उसके परिवार के संकट के समय व्यक्तिगत सहयोग प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी कभी भी मान्य नहीं होगा।

10.A.XI. JPST के सहयोग अभियान के समय प्रभावित सदस्य या उनके परिवार को तथ्य एवं सत्यपरक साक्ष्य प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रभावित सदस्य या उनके परिवार परिवार द्वारा साक्ष्य प्रमाणन या JPST के मौके पर स्थलीय भ्रमण/निरीक्षण के समय किसी भी प्रकार के कूटरचित, तथ्यगोपन, असत्य, फर्जी कृत्य पाए जाने की दशा में प्रभावित सदस्य या उसके परिवार को सहयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ उस पर विधिक/कानूनी कार्यवाही भी JPST द्वारा की जाएगी। तो सभी सम्मानित सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरह के संदेहास्पद/तथ्यगोपन जैसा कोई भी माहौल कृपया निर्मित नहीं करेंगे भविष्य में कभी भी, नहीं तो इसके लिए उनकी स्वयं की जिम्मेदारी बनेगी।

10.A.XII. JPST के किसी भी प्रभावित सदस्य या उसके परिवार को परस्पर सहयोग अभियान के दौरान टीम द्वारा किसी भी निवेदित धनराशि का सहयोग टीम के सभी सदस्यों द्वारा तभी कराया जाएगा जब टीम के प्रभारी सदस्यों द्वारा स्थलीय भ्रमण /निरीक्षण के तहत या प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाण की पुष्टि और संतुष्टि दोनो हो जायेगी। अतः त्वरित सहयोग पाने का अधिकार प्रभावित सदस्य या उसके परिवार को तभी होगा जब उसके प्रस्तुत साक्ष्य से JPST मुख्य कोर कमेटी या प्रभारी टीम पूर्णतः संतुष्ट होगी ऐसे में किसी भी प्रकार का प्रबंधसमिति का पूर्ण अधिकार होगा जब तक की यथोचित साक्ष्य पूर्णतः प्रमाणित न हो जाए, फिर भी JPST की पूरी कोशिश रहेगी कि ससमय सहायता प्रदान करवाया जाएं लेकिन इस संदर्भ में तात्कालिक कोई भी दावा मान्य नहीं होगा क्योंकि JPST परस्पर मानवीय सामाजिक सहयोगी टीम है जो की सहयोगी सदस्यों की सहयोग मर्जी/भावना पर

आधारित है। वस्तुतः अंतिम रूप से प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णतः सत्यशः प्रमाणित हो जाए तो सहयोग की प्रक्रिया का आह्वान, आग्रह या निवेदन JPST द्वारा त्वरित रूप से किया जा सकता है

जिससे प्रभावित पक्ष को तात्कालिक त्वरित मदद मिल सके।

10.A.XIII. JPST के द्वारा आह्वान, आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन, की स्थिति के बाद सहयोग अभियान के समय या इसके बाद भी यदि किसी सदस्य द्वारा भूल बस आवश्यकता से अधिक धनराशि प्रभावित सदस्य या उसके परिवार के बैंक खाते में भेजा गया है तो ऐसी दशा में यदि सहयोग करने वाला टीम सदस्य पुनः उक्त धनराशि को वापस करने का दावा टीम के समक्ष करता है तो ऐसी स्थिति में सहयोगकर्ता और सहयोग प्राप्त करने वाले दोनों ही व्यक्ति के यथोचित साक्ष्य प्रस्तुति एवं उसके प्रमाणन से संतुष्टि के उपरांत ही सहयोग प्राप्त कर्ता सदस्य या उसके परिवार से ज्यादा भेजी गई धनराशि को वापस करने का मात्र आग्रह JPST द्वारा किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मदद करने वाले सदस्य की होगी, JPST बिल्कुल भी इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकती है। इस संदर्भ में दावा स्वरूप कोई भी विधिक/कानूनी कार्यवाही टीम को बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी।

10.B. JPST के उपरोक्त परस्पर मानवीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया के नियम, शर्तों एवं प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए JPST टीम के सहयोग नियमों के दुरुपयोग होने की संभावना के तहत तथा टीम के निष्क्रिय सदस्यों को सक्रियता में लाने और यथोचित अनवरत, पारदर्शी सहयोग की शुचिता के परिप्रेक्ष्य में JPST टीम मुख्य कोर कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से निर्णयोपरांत लॉकिंग पीरियड का विशेष नियम या प्रावधान लागू किया गया है जो कि JPST टीम के सभी सदस्यों, प्रभारियों एवं पदाधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा। JPST के लॉकिंग पीरियड के प्रमुख नियम एवं शर्तें तथा प्रावधान इस प्रकार हैं |

10.B.I. JPST की स्थापना/गठन दिवस के बाद के प्रथम चार 4 माह में सिर्फ सदस्यता जोड़ो अभियान का कार्यक्रम चलाया जाएगा इस दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग अभियान बिल्कुल भी नहीं चलाया जाएगा।

10.B.II. JPST द्वारा प्रथम सहयोग अभियान की शुरुआत टीम की स्थापना के चार महीना पूर्ण होते ही पांचवें महीना से की जाएगी। पांचवें माह में जैसे ही सहयोग अभियान की शुरुआत होगी तो JPST स्थापना के बाद के प्रथम चार महीना के अंदर पांचवे महीना के पहले रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी न्यूनतम 10,000 सदस्यों या उससे अधिक सदस्यों को सहयोग प्रक्रिया में शुरुआती रूप से शामिल किया जाएगा। लेकिन पांचवें माह में या पांचवें माह के बाद के किसी भी दिन, महीने या वर्ष में रजिस्ट्रेशन करने वाले किसी भी सदस्य को तभी सहयोग किया जाएगा जब वह अपने प्रथम 4 बार के अनवरत/लगातार सहयोग के लॉकिंग पीरियड को पूर्ण कर लेगा। यह नियम सभी नए रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्यों पर लागू होगा किंतु इस दौरान यदि किसी सदस्य की बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो भी उस सदस्य का नामिनि सहयोग पाने का हकदार होगा ऐसा माना जाएगा कि यदि सदस्य जीवित रहता तो अवश्य ही अपना 4 सहयोग पूर्ण करता ।

10.B.III. टीम स्थापना के पांचवे माह से JPST में सहयोग अभियान के दौरान कोई सदस्य किसी कारणवश जैसे पारिवारिक व्यस्तता, शादी, समारोह, कार्यक्रम में या अन्य व्यस्तताओं के बृहद समयनिष्ठ स्थिति से विशेष प्रभावित होने की दशा में यदि अपना एक भी सहयोग नहीं कर पाता है या जानबूझकर या विवशतावश कोई पहला सहयोग छोड़ भी देता है तो ऐसी स्थिति में वह तभी JPST का वैधानिक सदस्य माना जाएगा जब वह अग्रिम चार 4 बार के लगातार सहयोग अभियान में अनवरत सहयोग करता रहेगा। इसके उपरांत पांचवी बार के सहयोग अभियान के पहले की तिथि में चैथी और पांचवी बार के सहयोग के बीच का समय या पांचवी बार के सहयोग अभियान में शामिल होते ही JPST का वैधानिक सदस्य पुनः बन जायेगा। किंतु किसी कारण वश इस दौरान यदि ऐसे सदस्य का निधन हो जाता हैं तो भी सदस्य के परिवार को सहयोग पाने का अधिकार होगा।

10.B.IV. JPST का कोई भी सदस्य यदि अगले 10 बार के लगातार सहयोग अभियान में से कोई भी दूसरा सहयोग छोड़ता है तो ऐसी दशा में ऐसा सदस्य तभी JPST का वैधानिक सदस्य माना जाएगा जब वह छोड़े गए अपने दूसरे सहयोग की अंतिम तिथि के बाद के आने वाले अग्रिम 6 बार के लगातार सहयोग को अनवरत रूप से पूर्ण करेगा अन्यथा की स्थिति में उसकी किसी भी पात्रता को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे सदस्य को कोई भी सहयोग नही किया जायेगा। किंतु इस दौरान किसी कारण वश ऐसे सदस्य का यदि निधन हो जाता हैं तो भी उसके परिवार को मानवता के आधार पर सहयोग पाने का अधिकार होगा।

10.B.V. JPST का कोई भी सदस्य यदि टीम के अनवरत सहयोग अभियान के दौरान के लगातार 12 बार के सहयोग में से कोई भी तीन 3 सहयोग अनुक्रम में नही किसी विशेष कारण वश छोड़ता है तो ऐसे सदस्य की वैधानिक सदस्यता JPST से पूर्णरूपेण समाप्त हो जाएगी और उसे इस दौरान उसके जीवित रहते हुए कोई भी सहयोग टीम समिति मुख्य कोर कमेटी द्वारा सहयोग अभियान आह्वान के अंतर्गत नहीं कराया जाएगा। किंतु किसी कारण वश यदि ऐसे सदस्य की मृत्यु इस दौरान हो जाती हैं तो फिर भी मानवता के आधार पर उसके परिवार को मदद पाने का अधिकार होगा।

10.B.VI. JPST का कोई भी सदस्य यदि टीम/समिति द्वारा चलाए जाने वाले परस्पर आर्थिक सहयोग अभियान के लगातार 12 सहयोग में से प्रारंभिक या मध्य या अंतिम के तीन बार के किसी भी लगातार तीन 3 सहयोग को अनवरत बिल्कुल अग्रिम अनुक्रम में छोड़ता हैं तो ऐसे सदस्यों और सदस्यों के परिवार की वैधानिक सदस्यता और सहयोग पाने का अधिकार स्वयंमेव समाप्त हो जायेगा। साथ ही साथ किसी कारण वश ऐसे सदस्यों के निधन की स्थिति में ऐसे सदस्यों के परिवार को बिल्कुल भी सहयोग पाने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये माना जाएगा कि ऐसा सदस्य टीम भावना के बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति हैं जिसे टीम के उद्देश्यों से कोई विशेष सरोकार नहीं हैं।

10.B.VII. JPST के समस्त सदस्यों, प्रभारियों तथा पदाधिकारियों से आशा, उम्मीद और अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी अनवरत सहयोग की प्रक्रिया को जारी रखेंगे जिससे वह उपरोक्त सभी लॉकिंग पीरियड के नियम एवं शर्तों से बचे रहेंगे और अपनी सक्रिय वैधानिक सदस्यता को आजीवन कायम रख सकेंगे। साथ ही साथ संपूर्ण जीवन सहयोग पाने के हकदार बने रहेंगे।

11. JPST के मुख्य कोर कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए कुछ विशेष नियम एवं शर्ते लागू है.

यदि टीम/समिति के मुख्य कोर कमेटी के अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारियों या सदस्यों का किसी कारणवश असामयिक निधन या न्यायिक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई दोष सिद्ध होता हैं तो ऐसी दशा में इनमें से रिक्त किसी भी पद पर नए पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन प्रदेश मुख्य कोर कमेटी के अन्य शेष सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों की दो तिहाई बहुमत के आधार पर लिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार किया जाएगा । ऐसे नए मुख्य कोर कमेटी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन सिर्फ प्रदेश के प्रभारियों एवं पदाधिकारियों में से ही किया जाना सुनिश्चित होगा।

12. JPST आवश्यकतानुसार एवं समयानुसार JPST के किसी भी नियम, शर्त या प्रावधान में टीम के उद्देश्यों और उसके यथोचित क्रियान्वयन के अनुरूप कभी भी कोई भी विधि सम्मत संशोधन, सुधार, परिवर्तन या परिवर्धन मुख्य कोर कमेटी के दो तिहाई बहुमत के आधार पर कर सकती है। उपरोक्त के संदर्भ में समस्त निर्णय लेने का सर्वाधिकार JPST मुख्य कोर कमेटी के पास सदैव सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा।

13. जीवन पथ के साथी टीम का प्रत्येक सदस्य JPST का आजीवन सदस्य रहेंगे भले ही वह अपने नौकरी से सेवा मुक्त रिटायर हो जाए तब भी वह अंतिम सांस तक JPST का आजीवन सदस्य रहेंगे और टीम के नियम, शर्तों एवं प्रावधानों को मानते रहेंगे साथ ही साथ परस्पर सहयोग करेंगे और सहयोग पाएंगे भी ।

14. स्थापना के समय से ही JPST पूर्णतः पारदर्शी एवं स्वैच्छिक है। उपरोक्त सभी नियम, शर्त एवं प्रावधान स्थापना दिवस से ही पूर्णरूपेण वैधानिक रूप से लागू है। यदि कोई भी बाह्य या आंतरिक सदस्य/व्यक्ति या तत्व JPST के नियम एवं शर्तों की अवहेलना/उल्लंघन करता है तो वह किसी भी विधिक/कानूनी सजा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, इसके लिए JPST टीम की किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी तय नहीं होगी। संपूर्ण सर्वाधिकार JPST के मुख्य कोर कमेटी/समिति के पास सुरक्षित रहेगा। 'भविष्य में समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार किसी भी नियम एवं शर्तों तथा प्रावधानों में संशोधन, सुधार, परिवर्तन या परिवर्धन का अधिकार एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का संपूर्ण

अधिकार टीम के मुख्य कोर कमेटी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित एवं संरक्षित रहेगा।

15. जीवन पथ के साथी टीम मुख्य कोर कमेटी सिर्फ और सिर्फ सहयोग का आग्रह/आह्वान/निवेदन/अनुनय विनय स्नेहिल रूप में सकारात्मकता के साथ अपने ही टीम सदस्यों से करती है और सदस्यों द्वारा सहयोग अभियान के दौरान जो सहयोग किया जाता है वह सीधे प्रभावित सदस्य या सदस्य के परिवार के बैंक खाते में सीधा क्प्त्ब्ज् ट्रांजैक्शन किया जाता है क्योंकि JPST अपने टीम सदस्यों से सहयोग की अपील के नियम पर आधारित है अतः किसी भी सदस्य के द्वारा सहयोग के बदले में सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी/विधिक अधिकार नहीं होगा। यह पूर्णरूपेण JPST के सदस्यों की स्वेच्छा मर्जी पर निर्भर है कि वह कितना कम या ज्यादा सहयोग करते हैं । इसके लिए भी JPST कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं होगी क्योंकि टीम/समिति सिर्फ सहयोग का आग्रह करती है। अतः किसी भी प्रकार की देनदारी या लेनदारी के संदर्भ में सदस्य का कानूनी अधिकार बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा और साथ ही साथ यदि कोई भी सदस्य सत्य तथ्य छुपाकर या पात्रहीनता की स्थिति में किसी भी प्रकार का अनवरत सहयोग करता रहता है तो ऐसी दशा में भी उसका सहयोग प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी अनुमन्य नहीं होगा।

16. जीवन पथ के साथी टीम के सभी सदस्यों को उपरोक्त सभी नियम एवं शर्तों को मानना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के कूटरचित, तथ्यगोपन, असत्य साक्ष्य प्रमाण जैसे फर्जी सहयोग राशि रसीद, फर्जी दवा बिल, फर्जी विवाह कार्ड, अस्पताल या मृत्यु स्थल आदि का फर्जी ऑडियो, वीडियो, इमेज आदि असत्य फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने, छल कपट करने तथा JPST के नियम एवं शर्तों के विरुद्ध कार्य करने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करते हुए उस पर तात्कालिक रूप से विधिक/कानूनी कार्यवाही करने का संपूर्ण अधिकार जीवन पथ के साथी टीम, उत्तर प्रदेश की मुख्य कोर कमेटी एवं समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

17. JPST का अंतिम रूप से 6 विशेष मोटो MOTO अभिहित होता है यथा

A. जो अनवरत सहयोग करेगा वही अनवरत सहयोग पाएगा।

B. संघे शक्ति कलयुगें

C. एक का सहयोग दूसरे का सहारा

D. जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी आजीवन सदस्यता तथा परिवार के संदर्भ में'

E. आज का सहयोग कल का सहारा

F. परस्पर सहयोग,सेवा,समर्पण, भाव दान सेवा मानव सेवा

18. जीवन पथ के साथी टीम की संपूर्ण प्रक्रिया, क्रियान्वयन, संचालन और संपादन आदि का नियमन करते हुए जो नियमावली सत्य प्रति JPST की वेबसाइट पर उपलब्ध है वही किसी भी अंतिम निर्णय की स्थिति में अंतिम रूप से मान्य होगी।

प्रबन्धरकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम , पता, पद एवम व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया है / Details of officie bearer and members of Management Committee :

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	मोबाइल नं.	फोटो	हस्ताक्षर
1.	श्री अक्षय कुमार	पुत्र श्री रामराज	96 बरजी कलां, मधुपुर, जौनपुर	अध्यक्ष	नौकरी	9455768853		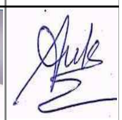
2.	श्री विकास चन्द वर्मा	पुत्र श्री रमा शंकर वर्मा	100 मिर्जापुर भिखारीपुर, अम्बेडकर नगर	उपाध्यक्ष	नौकरी	9455768853		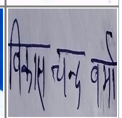
3.	श्री कमलेश कुमार	पुत्र श्री राम कुमार	ग्राम ददरी तालुका नौगवा, पोस्ट-डांडी, तहसील-करछना, प्रयागराज	सचिव	नौकरी	9455768853		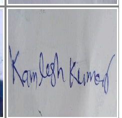
4.	श्रीमती दीप्ति सिंह	पत्नी श्री दयानन्द सिंह चैहान	EWS-575, आवास विकास कालोनी योजना-2, झूंसी, प्रयागराज	कोषाध्यक्ष	नौकरी	9170720425		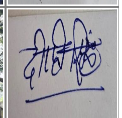
5.	श्री विनोद कुमार	पुत्र श्री राम कैलाश यादव	कसौटा, बसहरा उपरहार, प्रयागराज	सदस्य	नौकरी	9621674298		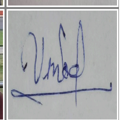
6.	श्री पुष्पराज केसरवानी	पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता	155/1R, झूलेलाल नगर, लूकरगंज, प्रयागराज	सदस्य	नौकरी	9198395043		
7.	श्री अनुज कुमार जायसवाल	पुत्र श्री आनंद कुमार जायसवाल	शंकर नगर, डलमऊ, रायबरेली	सदस्य	नौकरी	9455768853		
8.	श्री बटुकनाथ	पुत्र श्री रमा शंकर	नैका, झूँसी, प्रयागराज	सदस्य	नौकरी	8858598399		

9.	श्री परदेशी	पुत्र श्री मुरली	गारोपुर, निगोह, जौनपुर	सदस्य	नौकरी	8795092146		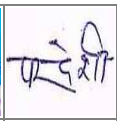
10.	श्री राजीव	पुत्र श्री बनवारी लाल निषाद	छतनाग, झूँसी, प्रयागराज	सदस्य	नौकरी	9793471620		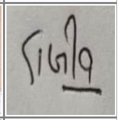
11.	रिजवान अहमद	पुत्र निहाल अहमद	ई.डी. 27, ए.डी.ए. कॉलोनी, नैनी, प्रयागराज	सदस्य	नौकरी	8299680595		

सभी लिखे हुए साधारण सभा के सदस्यों का विवरण की सूची / List of all Entered Genral Body members' details

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय
1.	श्री अक्षय कुमार	पुत्र श्री रामराज	96 बरजी कलां, मधुपुर, जौनपुर	नौकरी
2.	श्री विकास चन्द वर्मा	पुत्र श्री रमा शंकर वर्मा	100 मिर्जापुर भिखारीपुर, अम्बेडकर नगर	नौकरी
3.	श्री कमलेश कुमार	पुत्र श्री राम कुमार	ग्राम ददरी तालुका नौगवा, पोस्ट-डांडी, तहसील-करछना, प्रयागराज	नौकरी
4.	श्रीमती दीप्ति सिंह	पत्नी श्री दयानन्द सिंह चैहान	EWS-575, आवास विकास कालोनी योजना-2, झूंसी, प्रयागराज	नौकरी
5.	श्री विनोद कुमार	पुत्र श्री राम कैलाश यादव	कसौटा, बसहरा उपरहार, प्रयागराज	नौकरी
6.	श्री पुष्पराज केसरवानी	पुत्र श्री मक्खन लाल गुप्ता	155/1R, झूलेलाल नगर, लूकरगंज, प्रयागराज	नौकरी
7.	श्री अनुज कुमार जायसवाल	पुत्र श्री आनंद कुमार जायसवाल	शंकर नगर, डलमऊ, रायबरेली	नौकरी
8.	श्री बटुकनाथ	पुत्र श्री रमा शंकर	नैका, झूँसी, प्रयागराज	नौकरी
9.	श्री परदेशी	पुत्र श्री मुरली	गारोपुर, निगोह, जौनपुर	नौकरी
10.	श्री राजीव	पुत्र श्री बनवारी लाल निषाद	छतनाग, झूँसी, प्रयागराज	नौकरी
11.	रिजवान अहमद	पुत्र निहाल अहमद	ई.डी. 27, ए.डी.ए. कॉलोनी, नैनी, प्रयागराज	नौकरी

हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है ।
दिनाँक / Date :-04/01/2025
हस्ताक्षर / Signature :